बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4 / कृ०शि०को०–47 / 2018– 3562 / कृ0, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन विभिन्न भवनों के छत पर Installation of Grid connected Solar rooftop powerplant की स्थापना के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 86,34,490 रू० (छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ नब्बे) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन विभिन्न भवनों के छत पर Installation of Grid connected Solar rooftop powerplant की स्थापना के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 86,34,490 रू० (छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ नब्बे) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं इसके अधीन भवनों के छत पर सोलर सिस्टम की स्थापना के फलस्वरूप ऊर्जा की बचत होगी साथ ही पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से यह एक इनोवेटिव पहल के रूप में स्थापित होगा। सोलर पावर प्लांट की स्थापना ब्रेडा के द्वारा की जायेगी। इस परियोजना के अधीन 367 KWP grid connected solar rooftop power plant की स्थापना के लिए कुल लागत 1,86,11,570 रू० आकलित की गयी है, जिसमें से बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 1,52,61,490 रू० का भुगतान करना है, जिसके विरूद्ध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा 66,27,000 रू० उपलब्ध करायी गयी है। शेष 86,34,490 रू० की स्वीकृति प्रस्तुत योजना में दी जा रही है। यह स्वीकृति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के पत्रांक 954 दिनांक 04.09.2018 के क्रम में दी जाती है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार में विहित वित्तीय प्रावधानों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मद्वार कर्णांकित राशि में स्वीकृत राशि की सीमा में संशोधन किया जा सकेगा।

C:\Users\user\Desktop\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\Solar Plant.docx

Rabindra

4. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न के अधीन विकलनीय होगा,

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01– फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415012770108, विषय शीर्ष–0108.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	2158.00	71.6700
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017890103, विषय शीर्ष–0103.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	416.00	13.8200
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म,लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष– 0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017960104, विषय शीर्ष–0104. 31.06, सहायक अनुदान– गैर वेतन।	26.00	0.8549
कुल	**2600.00**	**86.3449**

5. स्वीकृत राशि 86.3449 लाख (छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ नब्बे) रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव की स्वीकृति दिनांक 19.09.2018 को संचिका संख्या–4 / कृ०शि०को०– 47 / 2018 के पृ0सं0– 03 / टि० पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०–47/2018 के पृ0सं0–04/टि० पर दिनांक– 19.09.2018 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 28-9-18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०–47/2018– 3562 /कृ0, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 28-9-18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०–47/2018– 3562 /कृ0, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 28-9-18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4/कृ०शि०को०–47/2018– 3562 /कृ0, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपिः– मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Rabindra 28-9-18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\user\Desktop\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\Solar Plant.docx